Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 22/November/2023 IJRAW: 2023; 2(12):117-118 Accepted: 28/December/2023

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: एक परिचय

*[1]डॉ. निधि यादव और [2]परिधि यादव

*[1]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, स. पू. चौ. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध एक महत्वपूर्ण परिचय प्रदान करता है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में समझ को विकसित करता है। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि वर्षों से उपेक्षाओं का शिकार रही नारियों के सशक्तिकरण को दिशा में यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करेगा की समाज एवं देश के विकास में महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकसित होने के पूर्ण एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो।

इस अध्ययन के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, एवं परिसीमन संबंधी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । यह अधिनियम वास्तव में वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जा सकता है।

मुख्य शब्दः नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, लोकतंत्र, महिला आरक्षण बिल

प्रस्तावना

लोकतान्त्रिक व्यवस्था मे, किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय विशेष महत्व रखता है। यह परिवर्तनकारी यात्रा की सामुहिक भावना को दर्शाता है। ऐसे समय में सब सम्पूर्ण वैश्विक भू–राजनीति बहु आयामी उथल–पुथल से घिरी हुई है 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का पारित होना भारतीय लोकतन्त्र की गत्यात्मकता एवम व्यस्कता का संकेत है। नए संसद भवन के प्रथम विधायी एजेन्डे ने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा तय की है

128 वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्तमान सरकार के लिए एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह विश्वास का एक लेख है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है ऐसे समय में राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी करने से वह कई विकसित देशो से आगे निकल जाएगा यह विधेयक राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण समाप्त हो चुके महिला आरक्षण विधेयक (2010) सहित 27 वर्षों से चल रही विधायी बहस का संभावित समापन है।

20 सितम्बर 2023 को लोकसभा ने विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में 02 वोटों के साथ पारित कर दिया। 21 सितम्बर 2023 को राज्यसभा ने 214 वोट पक्ष में के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया 28–29 सितम्बर 2013 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह विधेयक देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया।

विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं

- **महिलाओं के लिए आरक्षण;** विधेयक यथासम्भव लोकसभा, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटो पर एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियो के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा (अनुच्छेद 330ए)
- विधेयक में लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के पश्चात् आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- हर परिसीमन के पश्चात् महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट (रोटेशन) किया जाएगा।

***Corresponding Author:** डॉ. निधि यादव

- इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना में प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा।
- विधेयक में संविधान में नए अनुच्छेद 330ए और 332ए शामिल करने का प्रस्ताव है ये दोनों अनुच्छेद क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में बदलाव के लिए होगें।
- विधेयक में अनुच्छेद 339एए में क्लाज–2 जोड़ने का प्रावधान है; जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।
- यह आरक्षण अधिनियम के प्रभावी होने की तारिख से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

परिसीमन (Delimitation)

जिसका अर्थ है जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी देश में क्षेत्रिय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास

1. वर्ष 1992 में भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं में 73वें एवम 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 33ः सीटें आरक्षित की गई थी।
2. एच.डी. देवगोड़ा की सरकार द्वारा 1996 में प्रथम बार महिला आरक्षण के लिए 81वाँ संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया।
3. महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने का सर्वाधिक बार प्रयास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी द्वारा जुलाई 1998 से 2003 तक किया गया।
4. वर्ष 2010 में अन्तिम बार मनमोहन सिहं की सरकार द्वारा यह विधेयक राज्य सभा में पास हुआ किन्तु कई दलों में विरोध के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

महिला आरक्षण बिल (2023) में सकारात्मक परिणाम

- महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा और दशा में बदलाव सम्भव होगा।
- आरक्षण बिल 2023 के अन्तर्गत 33ः आरक्षण में आरक्षित वर्ग (एम.सी. व एस.टी.) की महिलाओं को उप–आरक्षण मिलेगा।
- पंचायत और नगर पालिका में पहले से ही 73वां एवम 74वाँ संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण अनवरत् है।

मौजूदा समय में देखे तो संसद व राज्य और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 15ः से भी कम है इसलिए इस महिला आरक्षण बिल को पारित करने की कवायद वर्ष 1996 से लगातार सभी सरकारों की और से की जा रही है।

यहां एक विचार उठना स्वाभाविक है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिना आरक्षण के राजनीतिक दल महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पर्याप्त टिकट नहीं दे सकते? प्रत्येक राजनीतिक दल महिला उत्थान में लम्बे–चौड़े वायदे और दावे भी करता है। लेकिन जब टिकिट देने की बारी आती है तो महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता। प्रश्न यह है क्या महिलाओं को आरक्षण देना उन्हें अवसर की समानता देना है और उनकी सहभागिता में प्रोत्साहन देना है या यह सारी कवायद मात्र एक राजनीतिक जुमला है।

महिला आरक्षण का मात्र राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नही रहना चाहिए। आवश्यकता मार्ग के अवरोधों को कम करने की है। आवश्यकता उनके लिए अनुकुल सामाजिक वातावरण बनाने की है।

वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद है यानि 15 प्रतिशत, वंही राज्यसभा में 29 महिला है यानि 12 प्रतिशत, 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के पश्चात महिला सांसदों की संख्या लोकसभा में 181 और राज्यसभा में 73 हो जाएंगी।

महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भले ही 3–4 वर्षों से धरातल पर चरितार्थ हो लेकिन यदि राजनीतिक दल चाहे तो कम से कम 25 प्रतिशत टिकट तो महिलाओं को दे ही सकते है शासन संचालन में उनकी सहभागिता बड़ेगी तो उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों में भी कभी आएगी। राजनीतिक हल 'आधी आबादी' को उनका पूरा हक दे, ताकि सामाजिक समरसता का ताना–बाना और मजबूत हो।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सीटों के आरक्षण के साथ कुछ और कदम भी उठाए जा सकते है जैसे सामाजिक जागरुकता, शिक्षा, लिंग आधारित हिंसा और उत्पीडन रोकने के आवश्यक कदम चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि।

सम्पूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाओं ने महिला प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर व्यवस्था में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी स्तर पर मौलिक सुधार भी उचित महिला प्रतिनिधित्व के लिए मददगार बन सकते है। उन्हें अपनी आंतरिक ढांचे को 'वीमन फ्रैंडली' बनाने में दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। पितृसत्तात्मक मानसिकता से ओत–प्रोत भारतीय समाज में यह विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए नारी शक्ति में इस स्वर्णिम उज्जवल युग का आगाज सभ्भव होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सुची

1. राजस्थान पत्रिका, 09 अक्टूबर 2023 पत्रिकायन पृ.02
2. दैनिक भास्कर, अजमेर 20 सितम्बर 2023
3. राजस्थान पत्रिका, 20 सितम्बर 2023 पृ.04,
4. राजस्थान पत्रिका 10 मार्च, 2023 पत्रिकायन पृ.02
5. दैनिक भास्कर 15 अगस्त 2021 पृ.04
6. राजस्थान पत्रिका 16 मई 2022
7. https://www.insight.com
8. vej mtkyk https://www.amarujala.com